



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक: CS/20-21/83/119

दिनांक: 06/03/2021

निविदा प्रपत्र

संस्थान में वर्ष 2021-22 के लिये सेनेटी सामग्री क्रय किये जाने के लिये मूल निर्माता कंपनी/ अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं एवं प्रदायकर्ताओं से खुली निविदा के माध्यम से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदायें, सहायक कुलसचिव (क्रय) के कार्यालय, में कक्ष क्र. 105 के सम्मुख रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 29.03.2021 को अपरान्ह 03:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। मुहरबंद निविदा जो कुलसचिव, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के नाम से प्रेषित हो। निविदायें दिनांक 29.03.2021 को अपरान्ह 3.30 बजे खोली जावेंगी, जो निविदायें अपूर्ण रूप से भरी हुई होंगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदाकार फर्म का नाम एवं पता :

मोबाईल नं (अनिवार्य) : (ई-मेल अनिवार्य).....

फर्म का पंजीयन क्रमांक :

छाया प्रति वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित
तथा फर्म का स्टाम्प सहित संलग्न करना अनिवार्य)

फर्म का जीएसटीएन नं. :

(छाया प्रति वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा
हस्ताक्षरित तथा फर्म का स्टाम्प सहित
संलग्न करना अनिवार्य)

फर्म का पेन कार्ड नं. :

(छाया प्रति वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित
एवं स्टाम्प सहित संलग्न करना अनिवार्य)

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 29/03/2021 समय 3.00 बजे

निविदा खोलने का स्थान : लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के प्रशासकीय

भवन में कार्यालय कक्ष क्रमांक 105 निविदा खोलने का दिनांक व समय दिनांक

29/03/2021 समय अपरान्ह 3.30 बजे।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

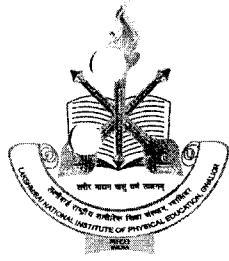
(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

सं.क्रं	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (अंको में) सभी करें सहित	दर (शब्दों में) सभी करें सहित
1	फ्लेश टैंक कम्पलीट (parryware/Hindware)	100 नग		
2	उडीसा पेन (देसी शीट मुर्गा सहित) 23 इंची (parryware)	60 नग		
3	पी.बी.सी. वेस्ट पाईप 38/40 एमएम×800एमएम (प्रयाग)	50 नग		
4	पी.बी.सी. वेस्ट पाईप 31/32एमएम×800एमएम (प्रयाग)	150 नग		
5	पी.वी.सी. वेस्ट कपलिंग 31/32 एमएम (प्रयाग)	200 नग		
6	जी.आई.निप्पल ½"x2" (हैवी)	125 नग		
7	जी.आई.निप्पल ½"x3" (हैवी)	30 नग		
8	जी.आई.निप्पल ½"x4" (हैवी)	125 नग		
9	जी.आई.निप्पल ½"x6" (हैवी)	125 नग		
10	जी.आई.निप्पल ½"x9" (हैवी)	125 नग		
11	जी.आई.निप्पल ¾"x4" (हैवी)	50 नग		
12	जी.आई.निप्पल ¾"x9" (हैवी)	25 नग		
13	जी.आई.निप्पल 2"x4" (हैवी)	10 नग		
14	जी.आई.निप्पल 2"x6" (हैवी)	10 नग		
15	जी.आई.निप्पल 2"x9" (हैवी)	10 नग		
16	जी.आई.निप्पल 2"x12" (हैवी)	10 नग		
17	अडडीदार निप्पल 1-1/4 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	30 नग		
18	अडडीदार निप्पल 1-1/2 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	30 नग		
19	अडडीदार निप्पल 2 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	30 नग		
20	टी 3/4x1/2 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	25 नग		
21	प्लग 1 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	24 नग		
22	प्लग 1-1/4 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	24 नग		
23	प्लग 2 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	24 नग		
24	सॉकेट ¾ इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	50 नग		
25	रेडयूसर सॉकेट ¾" x ½" जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	100 नग		
26	रेडयूसर सॉकेट 1x1/2 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	100 नग		
27	रेडयूसर सॉकेट 1x3/4 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	24 नग		
28	रेडयूसर सॉकेट 1-1/2x1 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	24 नग		
29	यूनियन 1/2 इंची जी.आई. (जोलोटो)	50 नग		
30	यूनियन 3/4 इंची जी.आई. (जोलोटो)	30 नग		
31	यूनियन 1-1/4 इंची जी.आई. (जोलोटो)	50 नग		
32	यूनियन 1-1/2 इंची जी.आई. (जोलोटो)	50 नग		
33	यूनियन 2 इंची जी.आई. (जोलोटो)	50 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS ertified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

34	एल्वो ½ इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	200 नग		
35	एल्वो ¾ इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	100 नग		
36	एल्वो 3/4x1/2 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	25 नग		
37	एल्वो 1/2x1 इंची जी.आई. (यूनिक/जोलोटो)	100 नग		
38	½ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एम.ए.बी.टी. (एस्ट्राल)	250 नग		
39	¾ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एम.ए.बी.टी. (एस्ट्राल)	200 नग		
40	½ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एफ.ए.बी.टी. (एस्ट्राल)	200 नग		
41	¾ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एफ.ए.बी.टी. (एस्ट्राल)	50 नग		
42	¾ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 सोकेट (एस्ट्राल)	200 नग		
43	1 इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 सॉकेट (एस्ट्राल)	500 नग		
44	½ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 ब्रास एल्वो (एस्ट्राल)	100 नग		
45	½ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एल्वो (एस्ट्राल)	100 नग		
46	¾ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एल्वो (एस्ट्राल)	300 नग		
47	1 इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 एल्वो (एस्ट्राल)	100 नग		
48	½ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 पाईप 6 मीटर लेन्थ (एस्ट्राल)	100 नग		
49	¾ इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 पाईप 6 मीटर लेन्थ (एस्ट्राल)	40 नग		
50	1 इंची यूपीवीसी एस.सी.एच. 80 पाईप 6 मीटर लेन्थ (एस्ट्राल)	02 नग		
51	रिंच 10 इंची (तापडिया)	02 नग		
52	रिंच 12 इंची (तापडिया)	02 नग		
53	रिंच 18 इंची (तापडिया)	02 नग		
54	रिंच 24 इंची (तापडिया)	02 नग		
55	गेटबाल 2 इंची गन मेटल (नेता/सन्त)	15 नग		
56	½ इंची ब्रान्ज हॉफ वॉल (नेता)	50 नग		
57	एंगल कोक सी.पी. (प्लम्बर/पैरी)	50 नग		
58	विबकॉक सी.पी. शार्ट बॉडी (parryware/Plumber)	100 नग		
59	नोजल टोटी ½ इंची सी.पी. (L&K/Plumber)	50 नग		
60	02 वे बिब कोक सी.पी. (प्लम्बर/पैरीवेयर)	50 नग		
61	पुश कॉक स्टील (प्रयाग)	100 नग		
62	वॉल मिक्सर 5 इंची टेलीफोनिक (पैरीवेयर/प्लम्बर)	05 नग		
63	ओवर हेड शॉवर सी.पी. (parryware/Plumber)	50 नग		
64	सूत पैकेट बडे	50 पैकेट		
65	पेचकस 12 इंची (तापडिया)	04 नग		
66	टॉबिल रेल सी.पी. 24 इंची (parryware/Plumber)	50 नग		
67	आधेसिव पीवीसी साल्वेन्ट 100 एमएल पेक मे (एस्ट्राल)	1200 डिब्बे		
68	रिंच पाना 5 सूत (तापडिया)	04 नग		
69	सिंक जाली स्टील 1-1/4 इंची	100 नग		
70	वॉटर टैंक सिन्टेकस ट्रिपल लेयर 500 लीटर	20 नग		
71	वॉटर टैंक सिन्टेकस ट्रिपल लेयर 750 लीटर	20 नग		
72	वॉटर टैंक सिन्टेकस ट्रिपल लेयर 1000 लीटर	20 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

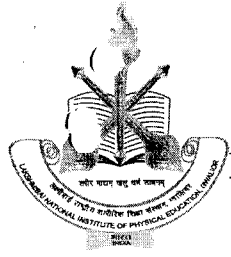
(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

73	वॉटर टैंक सिन्टेक्स ट्रिपल लेयर 2000 लीटर	20 नग		
74	कन्सीट फेस बडे	20 नग		
75	कन्सीट फेस छोटे	20 नग		
76	चीनी वाले फेस 02 इंची	50 नग		
77	चीनी वाले फेस 03 इंची	50 नग		
78	पाईप 1-1/4 इंची पीवीसी (किसान ब्रांड)	30 नग		
79	एल्वों 1-1/4 इंची पीवीसी (किसान ब्रांड)	100 नग		
80	टी -1/4 इंची पीवीसी (किसान ब्रांड)	50 नग		
81	रिडयूसर 2"x1-1/4 इंची पीवीसी (किसान ब्रांड)	100 नग		
82	पाईप 3/4" सीपीवीसी (एस्ट्राल)	400 फुट		
83	एल्वों 3/4" सीपीवीसी सादा (एस्ट्राल)	50 नग		
84	एल्वों 3/4" सीपीवीसी ब्राश (एस्ट्राल)	50 नग		
85	सॉकेट 3/4" सीपीवीसी (एस्ट्राल)	50 नग		
86	एम.ए.बी.टी 3/4" (एस्ट्राल) सीपीवीसी	50 नग		
87	एफ.ए.बी.टी 3/4" (एस्ट्राल) सीपीवीसी	50 नग		
88	पाईप 4" पीवीसी (किसान ब्रांड)	1000 फुट		
89	एल्वों 4" पीवीसी (किसान ब्रांड)	50 नग		
90	टी 4" पीवीसी (किसान ब्रांड)	30 नग		
91	नहानी ट्रेप 4"x2-1/2" पीवीसी (किसान ब्रांड)	50 नग		
92	पाईप 2-1/2" पीवीसी (किसान ब्रांड)	400 फुट		
93	एल्वों 2-1/2" पीवीसी (किसान ब्रांड)	40 नग		
94	टी 2-1/2" पीवीसी (किसान ब्रांड)	30 नग		
95	नहानी ट्रेप 2-1/2" पीवीसी (किसान ब्रांड)	30 नग		
96	प्लग एल्वों 2-1/2" पीवीसी (किसान ब्रांड)	30 नग		
97	सेडल पत्ती 1/2" जी.आई हैवी क्वालिटी	10 पैकट		
98	सेडल पत्ती 3/4" जी.आई हैवी क्वालिटी	05 पैकट		
99	सेडल पत्ती 1" जी.आई हैवी क्वालिटी	05 पैकट		
100	सेडल पत्ती 1-1/4" जी.आई हैवी क्वालिटी	03 पैकट		
101	टी 1/2" पीवीसी (एस्ट्राल)	60 नग		
102	टी 3/4" पीवीसी (एस्ट्राल)	50 नग		
103	टी 1" पीवीसी (एस्ट्राल)	40 नग		
104	रिंग (रबर) 2"	60 नग		
105	इंग्लिश सीट जेगुआर/ पेरीवेयर	50 नग		
106	डी-ज्वाइंट नटबोल्ट 6" 2-1/2 सूत बाईसर सहित	100 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में सेनेट्री सामग्री प्रदाय किये जाने के लिये प्रपत्र

परिशिष्ट "अ "

क्र. सं.	विवरण	दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है	संलग्न प्रति की पृष्ठ संख्या
1	2	3	5
1	निविदाकर्ता का नाम, पता (पिन कोड सहित) फोन क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, फैक्स क्रमांक, ई-मेल, वेबसाइट	हाँ/नहीं	
2	निविदाकर्ता की स्थिति अर्थात् सार्वजनिक/ सहकारी/भागीदारी/निजी फर्म (निगमन प्रमाण पत्र सहित अनिवार्य)	हाँ/नहीं	
3	जीएसटी क्रमांक हेतु पंजीकरण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) की प्रतिलिपि (हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अनिवार्य)	हाँ/नहीं	
4	स्थाई खाता संख्या (PAN) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित संलग्न)	हाँ/नहीं	
5	निविदा में वर्णित सेनेट्री सामग्री की प्रदायगी के लिये निर्माता कम्पनी/ वितरकों/ विक्रेताओं / प्रदायकर्ताओं द्वारा सेनेट्री प्रदायगी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य।	हाँ/नहीं	
6	विगत पाँच वर्षों में सेनेट्री सामग्री को किसी भी शासकीय विभाग/पीएसयू/ शासकीय /अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रदायगी की गई हो, ऐसी स्थिति में कम से कम पाँच सम्वन्धित कार्य आदेशों / देयकों की सूची तैयार कर संलग्न की जावे।	हाँ/नहीं	
7	निविदाकार को 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर शपथ-पत्र निम्नलिखित की घोषणा हेतु मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा:- अ) मुझ निविदाकार द्वारा ल.रा.शा.शि. सं. ग्वालियर में सेनेट्री सामग्री की प्रदायगी के लिये प्रस्तुत की जा रही निविदा में संलग्न (जो लागू हो):- 1. सेनेट्री सामग्री की मूल निर्माता कंपनी का प्रमाण पत्र सत्य व सही है। 2. वितरक का प्रमाण पत्र सत्य व सही है। 3. विक्रेता का प्रमाण पत्र सत्य व सही है। 4. सेनेट्री का पंजीयत प्रमाण पत्र सत्य व सही है। 5. MSME कंपनी/फर्म का प्रमाण पत्र सत्य व सही है। उपरोक्त में से किसी भी प्रमाण-पत्र के असत्य/भ्रामक/गलत/झूठा/काल्पनिक/दिखावटी पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म के विरुद्ध संस्थान द्वारा कार्यवाही की जाकर मैं/हम निविदाकार/निविदाकारों द्वारा जमा की गई परफोरमेंस राशि राजसात किये जाने और निविदा निरस्त किये जाने में मैं/हम निविदाकार/निविदाकारों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ब) मुझ निविदाकार के द्वारा किसी भी सरकारी विभाग/ पीएसयू/शैक्षणिक संस्थान में सफल निविदाकार के रूप में सेनेट्री सामग्री प्रदायगी की निविदा अवधि समाप्त होने से पहले अथवा मुझ निविदाकार द्वारा किसी प्रकार से किये गये अवैधानिक कृत्य के कारण अथवा ऐसी सामग्री प्रदायगी न किये जाने की स्थिति में निविदा समाप्त नहीं की गई हो और न ही मुझ निविदाकार को ब्लैकलिस्ट किया गया है।		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

	स) मैं/हम निविदाकार/निविदाकारों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला /प्रकरण भारतवर्ष की किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण /प्राधिकरणों / सक्षम न्यायालय/न्यायालयों में लंबित नहीं है । द) निविदा प्रपत्रों में दी गई शर्तों के अनुसार दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज गैरकानूनी/असत्य/ मिथ्या/ अवैधानिक होने पर संस्थान द्वारा मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को अमान्य किये जाने एवं परफोरमेंस सिक्योरिटी को संस्थान द्वारा राजसात/ जब्त किए जाने की शर्त मुझे/हमें स्वीकार है तथा इसके विरुद्ध मेरे/हमारी कम्पनी/फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा किसी भी प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी/ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जावेगा एवं ऐसे किये जाने की स्थिति में मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म द्वारा किया गया दावा व्यर्थ व बेकार होगा। इ) सेनेट्री सामग्री प्रदायगी की स्थिति में ऐसी सामग्री जिनकी मूल निर्माता कम्पनी/फर्म द्वारा नियत अवधि की दी गई वारण्टी/गारण्टी का प्रमाण प्रत्येक सामग्री के साथ अनिवार्य रूप से मेरे/हमारे द्वारा पूर्णरूपेण सौंपा जावेगा तथा जिसका पालन भी किया जावेगा। ई) मेरे/हमारे द्वारा सफल निविदाकार होने की स्थिति में मूल सेनेट्री एवं विविध सामग्री निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित सामग्री ही प्रदाय की जावेगी ।		
8		हाँ/नहीं	

उपरोक्त दस्तावेजों का क्रमवार पृष्ठांकन कर सूची तैयार कर परिशिष्ट "अ" के पूर्व संलग्न की कंपनी / फर्म द्वारा अधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न की जावे।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यापित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

//घोषणा //

घोषित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के परिशिष्ट 'अ' दस्तावेज एवं इसमें उल्लेखित समस्त नियम व शर्तों, कार्यक्षेत्र एवं विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया गया है। मेरे/हमारे द्वारा हर स्थिति में इनका अनुपालन किये जाने की घोषणा की जाती है।

मेरे/हमारे द्वारा घोषित किया जाता है कि निविदा में प्रस्तुत तथ्य मेरी/हमारी जानकारी अनुसार सत्य व सही है, एवं किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है और न ही कोई तथ्य गलत है।

मैं/हम यह सहमति देते हैं/देता हूँ कि संस्थान सेनेट्री सामग्री प्रदायगी की निविदा समिति अथवा संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मैं/हम घोषित करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म द्वारा निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियमों को पढ़कर सेनेट्री सामग्री प्रदाय करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ/लेते हैं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता :-----

निविदाकार का नाम :-----

फर्म का नाम एवं पता :-----

जीएसटीएन क्रमांक :-----

मोबाईल क्रमांक :-----

स्थायी दूरभाष क्रमांक :-----

स्थायी मोबाईल क्रमांक :-----

ईमेल आईडी- :-----

फैक्स क्रमांक :-----



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक: CS/20-21/3.3

दिनांक:

सेनेट्री सामग्री निविदा की शर्तें

1. निविदा फार्म दिनांक 29.03.2021 को दोपहर 3:00 बजे तक संस्थान के वर्णित कार्यालय में जमा किये जावेंगे और इसके पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा खुलने का दिनांक 29.03.2021 समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित है। यदि कोई शासकीय अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यालय बन्द रहता है तब दूसरे दिन उक्त समय पर ही निविदा खोली जावेगी।
2. निविदा दर स्वीकृत किये जाने के बाद अनुबंध किये जाने की तिथि से 12 माह की अवधि तक वैध होंगी। निविदा में दी गई दरों में सभी करों सहित दर स्वीकृत की जावेंगी। जी.एस.टी का भुगतान अतिरिक्त देय नहीं होगा।
3. निविदा की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
4. सफल निविदाकार को आदेशित सामग्री को निर्धारित तिथि के अन्दर स्वयं के व्यय पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, मेला रोड, ग्वालियर को प्रदाय करना होगा।
5. माँगकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार सेनेट्री सामग्री प्रदाय की जावेगी, इसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान होने पर प्रदाय आदेश निरस्त समझा जावेगा।
6. प्रदायकर्ता द्वारा सेनेट्री सामग्री प्रदाय किये जाने के बाद इसमें किसी प्रकार की टूटफूट अथवा खराबी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में निविदाकार को अबिलम्ब स्वयं के व्यय पर सामग्री वापिस ले जाना होगी तथा वापिस ले जाने के सात दिवस की अवधि में पुनः अच्छी स्थिति में सामग्री प्रदाय करनी होगी। संस्थान द्वारा ऐसी खराब सामग्री की सूचना दिये जाने की नियत अवधि के बाद निविदाकार द्वारा ऐसी सामग्री संस्थान में ही रखे रहने की स्थिति में ऐसी सामग्री की राशि के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अर्थदण्ड देयक की राशि में से कटौत किया जावेगा तथा जिसकी जबाबदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
7. निविदा की वारण्टी अवधि के मध्य यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई सेनेट्री सामग्री में किसी प्रकार की खराबी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में निविदाकार को ऐसी प्रदाय की गई सामग्री को बदला/सुधारा जाना आवश्यक होगा।
8. संस्थान के कुलपति महोदय को सम्पूर्ण निविदा या निविदा के किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

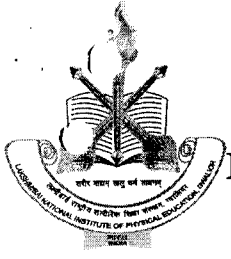
(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

9. सफल निविदाकार को निविदा के स्वीकृत होने की दिनांक से दस दिन के अन्दर तीन प्रतिशत परफोरमेंस सिक्योरिटी राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संस्थान में जमा कराना होगी। परफोरमेंस सिक्योरिटी निर्धारित तिथि तक जमा न किये जाने की स्थिति में ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा में वर्णित सेनेट्री सामग्री की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग निर्माता कम्पनी/फर्म को इस सम्बन्ध में विधिवत प्रमाण प्रस्तुत किये जाने तथा संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण को उचित पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार जमानत राशि/ ईएमडी राशि जमा किये जाने की छूट प्रदान की जावेगी।
10. सफल निविदाकार द्वारा संस्थान में जमा की गई परफोरमेंस सिक्योरिटी राशि अनुबंधित निविदा की एक वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के 60 दिवस बाद, समस्त अनुबंधित पालन जिसमें वारण्टी अवधि भी शामिल होगी, ऐसी स्थिति में वापिस की जावेगी जबकि निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों की सामग्री की सम्पूर्ण सामग्री माँग अनुसार पूर्ति की गई हो तथा अनुबंध की समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो एवं संस्थान द्वारा किसी भी नियमों, विनियमों का अपालन का दोषी न माना गया हो।
11. सफल निविदाकार को 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सेनेट्री सामग्री प्रदाय के विधिवत पालन के लिये अनुबन्ध करना होगा। बिना अनुबन्ध किये व परफोरमेंस सिक्योरिटी राशि जमा कराये बिना निविदाकार संस्थान में सेनेट्री सामग्री प्रदाय नहीं कर सकेगा।
12. सफल निविदाकार की स्वीकृत दरें अनुबंध दिनांक से आगामी एक वर्ष तक मान्य रहेगी, इस दौरान संस्थान द्वारा सेनेट्री सामग्री माँगे जाने पर स्वीकृत निविदा दर पर सामग्री प्रदाय करनी होगी।
13. निविदा के साथ जीएसटीएन क्रमांक की छायाप्रति हस्ताक्षर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
14. निविदा के साथ निविदाकार को स्वयं का मोबाइल क्रमांक, फर्म का स्थायी फोन नम्बर, फर्म का पिन कोड सहित पूरा पता, फर्म का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, पता, आईएफएससी कोड का संपूर्ण विवरण स्वयं हस्ताक्षर कर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
15. केवल वे ही निविदाकार निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस सामग्री में व्यापार करते हों तथा सेनेट्री सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु कम्पनी/ फर्म का विधिवत पंजीकरण होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समस्त वांछित दस्तावेज हस्ताक्षर किया जाकर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

16. निविदाकार को सेनेट्री सामग्री की मूल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित सामग्री ही संस्थान को प्रदाय करनी होगी ।
17. संस्थान और निविदाकार के मध्य विवाद की स्थिति में कुलपति, ल.रा.शा.शि.संस्थान, ग्वालियर द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा एवं मामला मध्यस्थ के समक्ष रखा जायेगा। मध्यस्थ द्वारा मामले पर दिया गया फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
18. निविदा के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई उपार्थना प्राप्त निविदाकारों की निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी ।
19. सेनेट्री सामग्री प्रदाय किये जाने में निविदाकार अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी सेनेट्री सामग्री में खराबी आने की स्थिति में स्वयं निविदाकार जबाबदेही होगा तथा उसे अपने स्वयं के व्यय और जोखिम पर इसको पुनः अच्छी स्थिति की सेनेट्री सामग्री प्रदाय करनी होगी ।
20. निविदा की अवधि के दौरान किसी भी कानून/विनियमन इत्यादि के अधिनियमित होने पर निविदाकार किसी भी प्रकार के मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा ।
21. यदि निविदाकार निविदा की अवधि के मध्य निविदा ठेका वापिस लेता है अथवा संस्थान के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है तब संस्थान धरोहर राशि और/अथवा प्रदर्शन गारण्टी, यथास्थिति, निविदा रद्द करने संबंधी 01 माह की लिखित सूचना देकर राजसात करने के लिये प्राधिकृत है इसके अतिरिक्त संस्थान के पास निविदाकार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।
22. निविदाकार अथवा उनके कर्मचारी द्वारा संस्थान के अधिकारी/ कर्मचारी तथा छात्र-छात्राओं के साथ विनम्र एवं शिष्टतापूर्वक व्यवहार अपेक्षित है तथा उनके द्वारा संस्थान परिसर में किसी प्रकार का धूम्रपान किया जाना पूर्णरूप से निषेधित है। निविदाकार/ निविदाकारों द्वारा संस्थान की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा।
23. सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश प्रदाय किये जाने के 07 दिवस (सात दिवस) की अवधि के अन्दर सेनेट्री सामग्री प्रदाय करना होगी। ऐसा न किया जाने की स्थिति में ऐसे कार्य आदेश की 0.5 प्रतिशत राशि प्रति सप्ताह की दर से प्रस्तुत देयक से कटौत किया जावेगा तथा ऐसे कटौत की जाने वाली राशि कुल स्वीकृत निविदा की राशि की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी ।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS ertified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक:

दिनांक:

24. सफल निविदाकार को भुगतान के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों में कम्पनी/ फर्म का पूरा नाम, पता, स्थायी मोबाइल क्रमांक, स्थायी दूरभाष क्रमांक, कॅ./फर्म का जीएसटी क्रमांक, कॅ./फर्म का टिन क्रमांक, क./फर्म का पेन नम्बर, भुगतान की जाने वाली बैंक का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक का पता,आईएफएससी कोड तथा देयक के ऊपरी भाग पर ल.रा.शा.शि. सं., ग्वालियर का , जीएसटी क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है।
25. निविदाकार द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरें शब्दों तथा अंकों में समस्त करें सहित भरी जावेंगी।
26. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा दरों में काँट-छाँट नहीं की जावेंगी। उपरी लिखित (Overwriting) दरें, काँट-छाँट कर भरी दरें स्वीकार नहीं की जावेंगी। निविदा करें को साफ-स्वच्छ लिखा जाना होगा।
27. निविदा दरों को अंको तथा शब्दों में समान भरा जाना चाहिए। शब्दों तथा अंकों में दरों में अन्तर होने की स्थिति में कम लिखी गई दरों को ही मान्य किया जावेगा।
28. सम्पूर्ण विवादों का न्यायाधिकार तथा विचाराधिकार क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।

ड. ल. सा. शा. शि.
०८/०३/२०२४
(प्रोफेसर ए. एस. साजवान)
प्रभारी कुलसचिव